शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol. 1, Issue 2, 15 July, 2010

पुत्रिका-प्रसूः (मात्र पुत्रियों वाली) माताओं की बालिका-शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

डॉ० शोभा गौड़

उपाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

www.shodh.net

पुत्रिका-प्रसूः (मात्र पुत्रियों वाली) माताओं की बालिका-शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

डॉ० शोभा गौड़

किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का मानदण्ड समाज में नारी की स्थिति है। मनु का यह कथन ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता:'' अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है (मनुस्मृति 3-56), इसी तथ्य की ओर इंगित करता है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को समृद्धि, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना गया है, जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में लक्ष्मी, सरस्वती एवं दुर्गा की पूजा की जाती रही है। स्त्री को समाज में पुरुष की अर्द्धांगिनी के रूप में स्थान दिया गया है, जिसकी अनुपस्थिति में अनेकों महत्त्वपूर्ण धार्मिक कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सकता। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के पश्चात् स्त्रियों की मौलिक व्यवस्थाएँ रूढ़ियों के रूप में परिवर्तित होने लगी, जिसके फलस्वरूप लज्जा, ममता और स्नेह, जो उनका नारी सुलभ गुण था, उसे उनकी दुर्बलता समझकर उनका मनमाना शोषण किया जाना आरम्भ कर दिया गया।

पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण तथा जातीय गतिशीलता के कारण स्वाधीन भारत में स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। स्त्रियों की शिक्षा का प्रसार होने तथा औद्योगीकरण के फलस्वरूप इन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। संचार के साधनों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में वृद्धि होने से स्त्रियों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना आरम्भ किया। संयुक्त परिवारों में विघटन होने के कारण स्त्रियों के पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि हुई और सामाजिक अधिनियमों के प्रभाव से एक ऐसे सामाजिक वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें बाल-विवाह, दहेज प्रथा और अन्तर्जातीय विवाह की समस्याओं से छुटकारा पाना सरल होता जा रहा है। जिन रूढ़ियों को स्त्रियों ने अज्ञानता के कारण अपने जीवन का आदर्श बना रखा था उन रूढ़ियों के प्रति उनकी उदासीनता बराबर बढ़ती जा रही है परन्तु आज भी शिक्षा का समुचित प्रसार-प्रचार न होने के कारण वे परम्परागत रूढ़ियों के बन्धन से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रही हैं। कानून की दृष्टि में स्त्री पुरूष समकक्ष हैं। संविधान ने उन्हें समानता का अधिकार भले ही दे दिया है, परन्तु दैनिक व्यवहार संविधान से न चलकर व्यक्तियों, परम्पराओं तथा आदतों से चलता है। दैनिक व्यवहार में जाति, लिंग, पितृ-सत्तात्मक परिवार, धर्मिक परम्परायें, रूढ़िगत रिवाज तथा सामाजिक मूल्यों का प्रभाव अभी बहुत व्यापक है।

भारत धर्म एवं संस्कृति प्रधान देश रहा है। धर्म एवं संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित करने में परिवार की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। परिवार में धार्मिक एवं सामाजिक कारणों से पुरूषों का प्रभुत्व दिखायी पड़ता है। जन्म से लेकर मृत्योपरान्त जितने भी धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान या कर्मकाण्ड होते हैं उनमें अधिकांश ऐसे होते हैं जिन्हें पुरूष या पुत्र के द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। पूजापाठ, हवन, यज्ञ आदि में पुरुषों की ही सहभागिता अधिक होती है। पितृसत्तात्मक परिवार की संरचना होने के कारण यह धारणा रही है कि वंश परम्परा को बनाये रखने के लिए परिवार में पुत्र का होना आवश्यक है। सनातन से यह धारणा चली आ रही है कि पुत्र अपने पिता, पितामह आदि पितरों को नरक से तारता है। मृत्योपरान्त चिता को अग्नि तथा पिण्डदान आदि धार्मिक कर्मकाण्डों को पुत्र द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। क्योंकि ऐसा विश्वास है कि जब तक पुत्र मुखाग्नि तथा पिण्डदान नहीं करेगा तब तक मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब परिवार में पुत्र न पैदा होकर मात्र पुत्रियाँ ही होती है। ऐसे माता-पिता को काफी निराशा होती है।

आज पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में स्त्रियाँ तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, परन्तु जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार स्त्रियों की साक्षरता दर मात्र 54.16 प्रतिशत है। इस स्थिति के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका उन माता-पिता की भी रही है, जिनके मन में लड़कियों के प्रति यह परम्परागत धरणा आज भी विद्यमान है कि लड़कियाँ परायी होती हैं, उनके द्वारा वंश परम्परा कायम नहीं रखा

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol. 1, Issue 2, 15 July, 2010

पुत्रिका-प्रसूः (मात्र पुत्रियों वाली) माताओं की बालिका-शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

डॉ० शोभा गौड़

उपाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

www.shodh.net

जा सकता है तथा पूर्वजों को मुक्ति भी नहीं मिल सकती। एक ओर लड़कियों के प्रति पारम्परिक सोच, दूसरी ओर उनकी स्थिति में तेजी से हो रहे परिवर्तन एवं समाज में उनकी बढ़ती सहभागिता को देखते हुए यह उचित प्रतीत हुआ कि जिन महिलाओं के पास मात्र पुत्रियाँ (पुत्रिका-प्रसूः) ही है, उनकी पुत्रियों की शिक्षा-दीक्षा, उनके व्यवसाय, उनकी स्थिति तथा उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के प्रति दृष्टिकोण में कितना परिवर्तन हुआ है इसका अध्ययन किया जाय।

उद्देश्यः-

यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों के सन्दर्भ में किया गया है।

पुत्रिका प्रसूः (मात्र पुत्रियों वाली) माताओं का पुत्रियों की शिक्षा के विभिन्न पक्षों के प्रति मतों का अध्ययन करना।

अल्पशिक्षित एवं शिक्षित माताओं की पुत्रियों की शिक्षा के विभिन्न पक्षों के प्रति मतों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

कार्यरत एवं गृहणियों की पुत्रियों की शिक्षा के विभिन्न पक्षों के प्रति मतों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध विधिः-

यह शोध निम्नलिखित सोपानों के अनुसार किया गया।

(१) प्रश्नावली का निर्माणः-

प्रस्तुत शोध के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। पुत्रिका-प्रसूः महिलाओं की पुत्रियों की शिक्षा, उनके भावी व्यवसाय, उनको दी जानी वाली सुविधाएँ, उनकी स्थिति के प्रति उनके मतों का अध्ययन करने हेतु प्रश्नावली का निर्माण किया गया जिसमें 25 प्रश्न निहित थे, जिसके उत्तर को 'हाँ'/'नहीं' में देना था।

(२) न्यादर्शः-

प्रस्तुत शोधकार्य हेतु न्यादर्श का चयन गोरखपुर नगर के 70 वार्ड में से लाटरी विधि से चयनित 17 वार्ड में रहने वाली पुत्रिका-प्रसूः महिलाओं से किया गया। चयनित वार्ड में व्यक्तिगत रूप से जाकर सर्वप्रथम यह जानकारी प्राप्त की गयी कि किन-किन माताओं के पास मात्र पुत्रियाँ ही है। ऐसे 17 वार्डों में 105 पुत्रिका-प्रसूः महिलाओं पर प्रश्नावली के माध्यम से अध्ययन हेतु आंकड़े एकत्रित किये गये जिन्हें विभिन्न तालिकाओं में प्रदर्शित किया गया है।

तथ्य एवं विश्लेषणः-(१)पुत्रिका-प्रसूः महिलाओं की पुत्रियों की शिक्षा के विभिन्न पक्षों के प्रति मत

पुत्रिका-प्रसूः महिलाओं द्वारा पुत्रियों की शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्राप्त मतों को तालिका-1 में प्रदर्शित किया गया है। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाएँ (84%) लड़कियों की स्थिति लड़कों से भिन्न मानती हैं, वे (86%) लड़कियों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। लगभग आधी (49%) महिलाएँ लड़कियों को उच्च शिक्षा देने की अपेक्षा उनका दहेज एवं विवाह आवश्यक मानती है। 62% महिलाएँ आर्थिक एवं असुरक्षा के कारण उन्हें शिक्षा हेतु तथा 66% महिलाएँ खेलकूद प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजने के पक्ष में नहीं हैं। इसका प्रमुख कारण महिलाओं की असुरक्षा एवं उनके प्रति बढ़ती हिंसा है। 55% महिलाएँ लड़कियों को रोजगार हेतु पूँजी एवं प्रोत्साहन देने के पक्ष में हैं। मात्र 45% महिलाएँ उनके लिए बैंक से कर्ज लेना चाहती हैं। अधिकांश महिलाएँ (97%) उन्हें एक सीमा तक स्वतंत्रता देने के पक्ष में हैं। 98% महिलाओं का मानना है कि उन्हें सामाजिक मर्यादा में रहना चाहिये। बहुसंख्यक महिलाएँ पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों को अधिक महत्त्व देती हैं, उनके मन में पुत्र न होने की कसक है।

(२) अल्पशिक्षित तथा शिक्षित महिलाओं के पुत्रियों की शिक्षा संबंधित विभिन्न पक्षों पर प्राप्त मतों का तुलनात्मक विवरणः-

अल्प शिक्षित महिलाएँ उन्हें माना गया है जिनकी शिक्षा हाईस्कूल से कम है। हाईस्कूल तथा इससे अधिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं को

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol. 1, Issue 2, 15 July, 2010

पुत्रिका-प्रसूः (मात्र पुत्रियों वाली) माताओं की बालिका-शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

डॉ० शोभा गौड़

उपाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

www.shodh.net

तलिका-१

पुत्रिका-प्रसूः महिलाओं की पुत्रियों की शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्राप्त मत

क्र. सं०	विवरण	मत	
		आवृत्ति	प्रतिशत
1	लड़कियों की स्थिति लड़कों से भिन्न	80	84
2	लड़कियों के भविष्य को लेकर चिंतित	90	86
3	उच्च शिक्षा देना फिजूल खर्ची	29	28
4	उतनी ही शिक्षा दी जाय जिससे घर गृहस्थी चल सके	50	48
5	उच्च शिक्षा की अपेक्षा दहेज एकत्र करना जरूरी	51	49
6	आर्थिक एवं असुरक्षा के कारण बाहर पढ़ने हेतु नहीं भेजना	65	62
7	विवाह की अपेक्षा आत्मनिर्भर बनाना अधिक पसन्द	66	63
8	अधिक पैसे देकर अच्छे विद्यालय में पढ़ने हेतु भेजने के पक्ष में।	51	49
9	लड़कियाँ वृद्धावस्था में देखरेख अच्छी तरह करती है	97	92
10	अध्ययन हेतु दूर भेजने के पक्ष में	35	33
11	जहाँ लड़कों की संख्या अधिक हो वहाँ पढ़ने भेजने के पक्ष में	47	45
12	खेलकूद में प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजने के पक्ष में	35	33
13	ऐसे व्यवसाय में भेजने के पक्ष में जहाँ उच्च पद पर पुरूष हो	60	57
14	रोजगार हेतु पूँजी एवं प्रोत्साहन देने के पक्ष में	58	55
15	लड़कियाँ आवश्यक कार्य में निर्णय लेने में सहयोगी	68	65
16	एक सीमा तक घूमने-फिरने की स्वतंत्रा देने के पक्ष में	102	97
17	लड़कियों के लिए बैंक से कर्ज लेने के पक्ष में।	47	45
18	अधिक रोक-टोक न लगाने के पक्ष में	78	74
19	पूर्व प्रचलित सीमित शिक्षा तथा सामाजिक स्थितियाँ उचित	54	51
20	उच्च शिक्षा से माता-पिता के विचारों एवं निर्णय के प्रति आदर भाव	42	40
21	नहीं	103	98
22	लड़कियों को सामाजिक मर्यादा में रहना चाहिए	100	95
23	लड़का रहने पर भी उन्हें पूरी सुविधा देते	103	98
24	लड़का न रहने पर धार्मिक अनुष्ठान अधूरा रहेगा	78	74
25	धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण करने हेतु उनको प्रोत्साहन देना	99	94
	पुत्र न होने का प्रायः दुःख होना		

SHODH SANCHAYAN

शिक्षित की श्रेणी में रखा गया है। इन महिलाओं द्वारा पुत्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर प्राप्त मतों को तालिका-2 में प्रदर्शित किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि अल्पशिक्षित एवं शिक्षित महिलाओं के पुत्रियों की शिक्षा के विभिन्न पक्षों के प्रति मतों में अन्तर है। शत-प्रतिशत अल्प शिक्षित महिलाएँ पुत्रियों के भविष्य को लेकर चिंतित है, वे उच्च शिक्षा देने की अपेक्षा दहेज एकत्र करना आवश्यक मानती हैं। अधिकांश महिलाएँ शिक्षा एवं खेलकूद प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजने के पक्ष में नहीं हैं। मात्र 24% अल्पशिक्षित महिलाएँ पुत्रियों के विवाह की अपेक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना अधिक पसन्द करती है। वहीं शिक्षित महिलाएँ (77%) लड़कियों को अधिक पैसे देकर अच्छे विद्यालय में पढ़ने हेतु भेजने के पक्ष में हैं। आधी से अधिक महिलाएँ शिक्षा एवं खेलकूद प्रशिक्षण हेतु दूर भेजने के पक्ष में हैं। 92% महिलाएँ उन्हें रोजगार हेतु पूँजी एवं प्रोत्साहन देने के पक्ष में हैं। 4% अल्प शिक्षित की तुलना में 75% शिक्षित महिलाएँ लड़कियों के लिए बैंक से कर्ज लेने के पक्ष में हैं। 84% अल्पशिक्षित महिलाओं का मत है कि उच्च शिक्षा से माता-पिता के विचारों एवं निर्णय के प्रति लड़कियों का आदर भाव नहीं रहता है। कुछ पक्षों जैसे एक सीमा तक लड़कियों को घूमने-फिरने की स्वतंत्रता देना, लड़कियों को सामाजिक मर्यादा में रहना, लड़का न होने में धार्मिक अनुष्ठान अधूरा रहना तथा पुत्र न

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol. 1, Issue 2, 15 July, 2010

पुत्रिका-प्रसूः (मात्र पुत्रियों वाली) माताओं की बालिका-शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

डॉ० शोभा गौड़

उपाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

www.shodh.net

होने का प्रायः दुःख होना शिक्षित तथा अल्पशिक्षित दोनों वर्ग की महिलाओं में समान मत दिखाई पड़ता है।

तालिका-२

अल्पशिक्षित तथा शिक्षित महिलाओं द्वारा पुत्रियों की शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्राप्त मत

क्र. सं.	विवरण	अल्पशिक्षित महिलाए		शिक्षित महिलाए	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	लड़कियों की स्थिति लड़कों से भिन्न	43	96	45	75
2	लड़कियों के भविष्य को लेकर चिंतित	45	100	45	75
3	उच्च शिक्षा देना फिजूल खर्ची	27	60	02	03
4	उतनी ही शिक्षा दी जाये जिससे घर गृहस्थी चल सके	45	100	05	08
5	उच्च शिक्षा की अपेक्षा दहेज एक> करना जरूरी	45	100	06	10
6	आर्थिक एवं असुरक्षा के कारण बाहर पढ़ने हेतु नहीं भेजना	43	96	22	37
7	विवाह की अपेक्षा आत्मनिर्भर बनाना अधिक पसन्द	11	24	55	92
8	अधिक पैसे देकर अच्छे विद्यालय में पढ़ने हेतु भेजने के पक्ष में	05	11	46	77
9	लड़कियाँ वृ)ावस्था में देख-रेख अच्छी तरह करती हैं	41	91	56	93
10	उन्हें अधययन हेतु दूर भेजने के पक्ष में	03	07	33	55
11	जहाँ लड़कों की संख्या अधिक हो वहाँ पढ़ने भेजने के पक्ष में	03	07	45	75
12	खेलकूद में प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजने के पक्ष में	02	04	34	57
13	ऐसे व्यवसाय में भेजने के पक्ष में जहाँ उच्च पदों पर पुरूष हो	06	13	54	90
14	उन्हें रोजगार हेतु पूँजी एवं प्रोत्साहन देने के पक्ष में।	03	07	55	92
15	लड़कियाँ आवश्यक कार्य में निर्णय लेने में सहयोगी	20	44	48	80
16	एक सीमा तक घूमने-फिरने की स्वतंत्रा देने के पक्ष में	44	98	58	97
17	लड़कियों के लिए बैंक से कर्ज लेने के पक्ष में।	02	04	45	75
18	अधिक रोक-टोक न लगाने के पक्ष में	20	44	58	97
19	पूर्व प्रचलित सीमित शिक्षा तथा सामाजिक स्थितियाँ उचित	43	96	11	18
20	उच्च शिक्षा से माता-पिता के विचारों एवं निर्णय के प्रति आदर भाव नहीं	38	84	04	07
21	लड़कियों को सामाजिक मर्यादा में रहना चाहिए	45	100	58	97
22	लड़का रहने पर भी उन्हें पूरी सुविधाा देते	42	93	53	97
23	लड़का न होने से धार्मिक अनुष्ठान अपूर्ण रहेगा	45	100	58	97
24	धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने हेतु उनको प्रोत्साहन देना	28	62	50	83
25	पुत्र न होने का प्रायः दुःख होना	45	100	53	88

(३) कार्यरत एवं गृहणियों की पुत्रियों की शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न पक्षों पर प्राप्त मतों का तुलनात्मक विवरणः-

कार्यरत महिलाएँ चूँकि घर से बाहर निकलती है, उनका सामाजिक अन्तःक्रिया होने के कारण गृहणियों की अपेक्षा पुत्रियों की शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्राप्त मतों में स्पष्ट अन्तर दिखलायी पड़ रहा है जिसे तालिका-3 में दर्शाया गया है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कार्यरत महिलाएँ (70%)लड़कियों के भविष्य को लेकर गृहणियों की अपेक्षा (100%) कम चिंतित दिखी। आधी से अधिक गृहणियाँ (53%) लड़कियों की शिक्षा को फिजूल खर्ची मानती हैं, वे (91%) उन्हें उतनी ही शिक्षा देना चाहती हैं जिससे घर गृहस्थी चल सके। दहेज एकत्र करना एवं विवाह को अधिक महत्त्व देती हैं। मात्र 38% गृहणियाँ उन्हें अच्छे विद्यालय में

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol. 1, Issue 2, 15 July, 2010

पुत्रिका-प्रसूः (मात्र पुत्रियों वाली) माताओं की बालिका-शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

डॉ० शोभा गौड़

उपाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

www.shodh.net

पढ़ने भेजना चाहती हैं। मात्र 12% गृहणियाँ लड़कियों के लिए कर्ज लेने के पक्ष में हैं। रोजगार हेतु पूँजी एवं प्रोत्साहन देने के पक्ष में मात्र 18% गृहणियाँ है। कार्यरत महिलाएँ (60%) लड़कियों को अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजना चाहती हैं, अध्ययन एवं खेलकूद प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजने के पक्ष में आधी से अधिक कार्यरत महिलाएँ हैं। लेकिन लड़कियों को घूमने-फिरने की स्वतंत्रता देना, सामाजिक मर्यादाओं में रहना, लड़का न होने से धार्मिक अनुष्ठान अधूरा रहना तथा पुत्र न होने का प्रायः दुःख होना आदि पक्षों पर कार्यरत महिलाओं एवं गृहणियों के मतों में समानता दिखायी पड़ रहा है।

तालिका-३

कार्यरत एवं गृहणियों की पुत्रियों की शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्राप्त मत

क्र सं	विवरण	कार्यरत महिलाएँ		गृहणियाँ	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	लड़कियों की स्थिति लड़कों से भिन्न	37	74	51	93
2	लड़कियों के भविष्य को लेकर चिंतित	35	75	55	100
3	उच्च शिक्षा देना फिजूल खर्ची	00	00	29	53
4	उतनी ही शिक्षा दी जाये जिससे घर गृहस्थी चल सके	00	00	50	91
5	उच्च शिक्षा की अपेक्षा दहेज एकत्र करना जरूरी	03	06	48	87
6	आर्थिक एवं असुरक्षा के कारण बाहर पढ़ने हेतु नहीं भेजना	15	30	50	91
7	विवाह की अपेक्षा आत्मनिर्भर बनाना अधिक पसन्द	46	92	20	36
8	अधिक पैसे देकर अच्छे विद्यालय में पढ़ने हेतु भेजने के पक्षमें	30	60	21	38
9	लड़कियाँ वृद्धावस्था में देख-रेख अच्छी तरह करती हैं	47	94	50	91
10	उन्हें अध्ययन हेतु दूर भेजने के पक्ष में	30	60	05	09
11	जहाँ लड़कों की संख्या अधिक हो वहाँ पढ़ने भेजने के पक्ष में	40	80	07	12
12	खेलकूद में प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजने के पक्ष में	28	56	07	12
13	ऐसे व्यवसाय में भेजने के पक्ष में जहाँ उच्च पदों पर पुरूष हो	45	90	15	27
14	उन्हें रोजगार हेतु पूँजी एवं प्रोत्साहन देने के पक्ष में।	48	96	10	18
15	लड़कियाँ आवश्यक कार्य में निर्णय लेने में सहयोगी	38	76	30	55
16	एक सीमा तक घूमने-फिरने की स्वतंत्रता देने के पक्ष में	48	96	54	98
17	लड़कियों के लिए बैंक से कर्ज लेने के पक्ष में।	40	80	07	12
18	अधिक रोक-टोक न लगाने के पक्ष में	40	80	38	69
19	पूर्व प्रचलित सीमित शिक्षा तथा सामाजिक स्थितियाँ उचित	10	20	44	80
20	उच्च शिक्षा से माता-पिता के विचारों एवं निर्णय के प्रति आदर भाव नहीं	02	04	40	72
21	लड़कियों को सामाजिक मर्यादा में रहना चाहिए लड़का रहने	48	96	55	100
22	पर भी उन्हें पूरी सुविधाा देते	50	100	50	91
23	लड़का न होने से धार्मिक अनुष्ठान अपूर्ण रहेगा	48	96	55	100
24	धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने हेतु उनको प्रोत्साहन देना	40	80	38	69
25	पुत्र न होने का प्रायः दुःख होना	48	96	54	98

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN
ISSN 2249-9180 (Online)
ISSN 0975-1254 (Print)
RNI No.: DELBIL/2010/31292

Bilingual journal of Humanities & Social Sciences

Half Yearly

Vol. 1, Issue 2, 15 July, 2010

पुत्रिका-प्रसूः (मात्र पुत्रियों वाली) माताओं की बालिका-शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

डॉ० शोभा गौड़

उपाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

www.shodh.net

शैक्षिक उपादेयता एवं सुझावः-

प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि अल्पशिक्षित एवं गृहणियाँ लड़कियों को शिक्षा एवं खेलकूद प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजने, रोजगार हेतु पूँजी व प्रोत्साहन देने, बैंक से कर्ज लेने के पक्ष में बहुत ही कम हैं। वे लड़कियों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनको आवश्यकता से अधिक स्वतन्त्रता देने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि लड़कियों को सामाजिक मर्यादा में रहना चाहिए। लड़कियों की स्थिति के प्रति दृष्टिकोण लड़कों से भिन्न है। शिक्षित, अल्पशिक्षित, कार्यरत एवं गृहणियाँ सभी ने लड़कियों के प्रति विश्वास दिखाया है। उनका मानना है कि लड़कियाँ वृद्धावस्था में देख-रेख अच्छी तरह करती हैं। वे लड़कियों को धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन देने के पक्ष में हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि यदि लड़का नहीं रहता तो भी लड़कियों को वही सुविधाएँ प्रदान करती। सभी वर्गों की महिलाओं का मानना है कि लड़का न रहने पर धार्मिक अनुष्ठान अधूरा रहेगा तथा पुत्र न होने की कसक प्रायः सभी को है।

आज लड़कियों की शिक्षा उन्हें आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं संवैधानिक स्वतंत्रता प्रदान कर रही है। आवश्यकता है कि जिन माताओं के पास मात्र पुत्रियाँ हैं, उन्हें इस बात से दुःखी न होकर उनका पालन-पोषण पूरे मनोयोग से कर उन्हें पुत्रों के समान बराबर मानकर उनके अनुरूप कार्य करने का अवसर प्रोत्साहन एवं सुविधा प्रदान करें। सरकार की ओर से भी पुत्रियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसे-कस्तूरबा बालिका विद्यालय, सर्वशिक्षा अभियान, स्वयंसिद्धा योजना, किशोरी बालिका पौष्टिक कार्यक्रम, किशोर शक्ति योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, धनलक्ष्मी बीमा कवर सहित बालिकाओं को नकद राशि आदि। इन योजनाओं से अधिकांश लोग परिचित नहीं है इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पा रहे है। अतः अधिक से अधिक लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाय जिससे लड़के एवं लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण में अन्तर कम हो सके।

सन्दर्भ-

- अग्रवाल, जे.सी. (2009), भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, शिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली।
- अग्निहोत्री, आर. (2007), आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएँ और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
- गुप्ता एस.पी., गुप्ता, अल्का (2002), आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- गुप्ता, एस.पी0 (2009), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- भारत 2009, वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

शोध संचयन
SHODH SANCHAYAN